न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/272

बशीरन बेवा हफीज जाति फकीर निवासी ग्राम बम्बूली हाल निवासी ग्राम पाटली तहसील अलीगढ जिला टोंक ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. अली बहादुर आत्मज लड्डूशाह जाति फकीर निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. उमरद्दीन आत्मज श्री कंवरदीन जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री महेश योगी, श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 07.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 1467 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1468 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी में गैर खातेदार के रूप में अवैध अंकन अप्रार्थी क्रम 1 बशीरन के नाम का हो रहा है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार हफीजशाह वल्द जहुरशाह जाति फकीर मुसलमान थे जिनका देहावसान सन् 2000 में हो चुका है । स्वर्गीय हफीजशाह ने अपने जीवनकाल में अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.08.1998 को प्रार्थी के पक्ष में लिख दी

थी । उक्त वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि पर प्रार्थी गैर खातेदार आसामी बना । उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है । अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त भूमि बशीरन के खाते गलत रूप से दर्ज हो गई है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण उक्त भूमि से वादी को बेदखल कर बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में हैं ।

3. अतः ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे और प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें तथा उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करावे ।

4. अप्रार्थी कम 02 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

5. अप्रार्थी कम 1 के खिलाफ दिनांक 08.12.2015 को एकतरफा कार्यवाही की गई और दिनांक 14.08.2006 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट किया गया है ।

6. तत्पश्चात् अप्रार्थी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया वृद्ध 70 वर्षीय महिला है जो अक्सर बीमार रहती है उसके अभिभाषक ने उसे तारीख पेशी की सूचना नहीं दी थी और उसके खिलाफ दिनांक 08.12.2015 को एक पक्षीय आदेश न्यायालय द्वारा प्रदान कर दिया । प्रार्थिया मजबूरीवश गैर हाजिर रही है । अतः एकपक्षीय आदेश निरस्त कर प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

7. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा अप्रार्थी कम 1 बशीरन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.12.2015 को प्रतिवादी अपीलान्ट व उसके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द कर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को पुष्ट कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट को आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के अन्तर्गत उक्त एकपक्षीय आदेश को निरस्त करवाने एवं अपील करने का दोनों ही उपचार उपलब्ध हैं । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पति के खाते कब्जे की थी । उनके पति की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि अपीलान्ट

के खाते दर्ज की गई तथा वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 एवं 21.03.2016 निरस्त फरमायें जावें ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । अपीलान्ट के द्वारा वकालतनामा पेश किया और जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 08.12.2015 को अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द कर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को पुष्ट कर दिया । अपीलान्ट के द्वारा आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर त्रुटि की है । अपीलान्ट को आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के अन्तर्गत एकपक्षीय आदेश को निरस्त करवाने एवं अपील करने का दोनों ही उपचार उपलब्ध थे । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था जो नहीं दिया गया है । यह आराजी अपीलान्ट के पति हफीजशाह के खाते कब्जे की थी । हफीजशाह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई है जिस पर अपीलान्ट काबिज है । रेस्पोडेन्ट वादी का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है न ही उनका कब्जा है । फिर भी वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12. 2015 एवं 21.03.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी को विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में एक वसीयतनामा खातेदार हफीजशाह ने किया था जो नोटेरी से तस्दीक करवाया गया । इस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 एवं 21.03.2016 बहाल रखे जावें ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.12.2015 को अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पुष्ट की गई है ।

अपीलान्ट के द्वारा इस एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने के लिए आदेश 39 नियम 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को न्यायहित में जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 एवं दिनांक 21.03.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा